

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन

प्रधान कार्यालय, तृतीय तल, उद्योग भवन रिंग रोड 1 तेलीबांधारायपुर
दूरभाष क्र. 0771-4242504, फैक्स क्र. 0771-4242510, 4242555
क्र/छगवेका/लेखा/आडिट/2017/10332 रायपुर, दिनांक-14.07.2017

"रूचि की अभिव्यक्ति"

छ0ग0 स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (G.S.T.) से संबंधित कार्य हेतु Consultant नियुक्त करना चाहता है। जो फर्म निर्धारित योग्यता एवं Scope of work के अनुसार सेवाएँ देने में रूचि रखते हैं, वे अपना आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय में दिनांक 10.08.2017 तक छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, प्रधान कार्यालय, तृतीय तल उद्योग भवन रिंग रोड नं0 01 रायपुर (छ0ग0) में जमा कर सकते हैं। एवं इस हेतु विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.cgswc.cg.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबंधक (कार्पो/लेखा)



-:::छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन-:::-

प्रधान कार्यालय, रिंग रोड-01, तृतीय तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर (छ0ग0)
दूरभाष क्रं- 0771-4242504, फैक्स क्रं.-0771-4242510, 4242555

रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

छ0ग0 स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन रायपुर द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (G.S.T.) से संबंधित कार्य हेतु Consultant नियुक्त करना चाहता है।

उक्त सेवा हेतु जो Chartered Accountants, Cost Accountants, Tax Consultants फर्म अपनी सेवा देना चाहते हैं, इस कार्य हेतु निर्धारित योग्यता एवं Scope of work के अनुसार कार्य करने को तैयार हैं, वह अपना आवेदन पत्र जिसमें संबंधित फर्म का Profile एवं योग्यता अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हेतु, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु, **वार्षिक फीस सहित** निगम मुख्यालय तृतीय तल, उद्योग भवन, कार्यालयीन समय 10.00 से 5.00 बजे तक दिनांक 10.08.2017 तक जमा कर सकते हैं।

फर्मों द्वारा निम्नानुसार योग्यता आवश्यक होंगे :-

- 01-फर्म का मुख्यालय ऑफिस रायपुर में होना आवश्यक है।
- 02-फर्म की स्थापना को कम से कम पाँच वर्ष हो गये हो।
- 03-फर्म की पाँच वर्षों की वार्षिक औसत टर्नओवर कम से कम 20 लाख रुपये होना चाहिए।
- 04-फर्म द्वारा विगत पाँच वर्षों में अप्रत्यक्ष करों जैसे Excise, Service Tax, Vat Tax, आदि कार्यों का अनुभव हो।
- 05-फर्म द्वारा शासकीय संस्थाओं द्वारा Black List घोषित न हो।

Scope of Work

- 01-निगम में लगने वाले G.S.T. के प्रावधानों एवं शर्तों, नए अपडेशन एवं संशोधित नियमों के संबंध में आवश्यक राय/सुझाव देना।
- 02-G.S.T. प्रावधानों अनुसार प्रतिमाह रिटर्न एवं वार्षिक रिटर्न फाईल की कार्यवाही करना।
- 03-G.S.T. प्रावधानों अनुसार निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करना।
- 04- G.S.T. हेतु संबंधित शासकीय विभाग द्वारा जारी पत्रों का जवाब देना।

प्रबंधक (कार्पो0/लेखा)